

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 दिसम्बर, 2016 ई0 अग्रहायण 17, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 353 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2016 देहरादून, 08 दिसम्बर, 2016 अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 को दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 सन 2016 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2016)

## अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण
1	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2	परिभाषाएँ
3	विश्वविद्यालय की स्थापना
4	विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें
5	विश्वविद्यालय का आरम्भ
6	विश्वविद्यालय के उद्देश्य
7	विश्वविद्यालय की शक्तियां
8	प्रवेश और मानक
9	विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा
10	आरक्षण
11	विश्वविद्यालय के अधिकारी
12	कुलाध्यक्ष
13	कुलाधिपति
14	कुलपति
15	प्रति—कुलपति
16	प्राचार्य
17	कुलसचिव
18	संकायों के संकायाध्यक्ष
19	वित्त अधिकारी
20	अन्य अधिकारी
21	विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
22	कोर्ट
23	कार्य परिषद
24	विद्या परिषद्
25	वित्त समिति
26	नियोजन बोर्ड
27	संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी
28	परिनियमों को बनाने की शक्ति
29	अध्यादेश बनाने की शक्ति

30	वार्षिक रिपोर्ट
31	वार्षिक लेखा
32	कर्मचारियों की सेवा
33	अपील करने का अधिकार
34	कल्याणकारी योजना
35	प्राधिकरण निगमों निकायों के गठन के बारे में विवाद
36	समितियों का संविधान
37	रिक्तियों का भरा जाना
38	कार्यवाही की अविधिमान्यता
39	विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति
40	परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन
41	स्थायी विन्यास निधि
42	सामान्य निधि
43	विकास निधि
44	निधि का अनुरक्षण
45	वित्तीय शर्तें
46	शुल्क
47	सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां
48	विश्वविद्यालय का विघटन
49	विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय
50	राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना
51	नीति विषयक मामलों में राज्य सरकार का निर्देश देने का अधिकार

\_\_\_\_

विघटन / मान्यता रद्द होने पर सम्पत्तियां / उत्तरदायित्व की स्थिति

52

# रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

### (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 35 वर्ष 2016)

डा० जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट, देहरादून द्वारा प्रायोजित उत्तराखण्ड में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये.

### अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

- **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।
  - (2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाएँ

- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—
  - (क) ''विद्या परिषद'' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद अभिप्रेत है;
  - (ख) ''बोर्ड'' से विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी अन्य बोर्ड अभिप्रेत हैं:
  - (ग) ''कुलाध्यक्ष'', ''कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति—कुलपति'' से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति और प्रति—कुलपति अभिप्रेत है;
  - (घ) ''कोर्ट'' से विश्वविद्यालय के कोर्ट अभिप्रेत है;
  - (ड.) ''निदेशक / प्राचार्य'' से संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
  - (च) ''विभाग'' से अध्ययन के विभाग अभिप्रेत है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;
  - (छ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के सभी सदस्य सम्मिलित हैं;
  - (ज) ''कार्यपरिषद'' से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद अभिप्रेत है;
  - (झ) "संकाय" से विश्वविद्यालय के संकाय अभिप्रेत है;
  - (ञ) ''छात्रावास'' से विश्वविद्यालय के शोधार्थी / छात्रों के निवास अभिप्रेत है;
  - (ट) ''संस्थान'' से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्थान अभिप्रेत है;
  - (ठ) 'विहित'' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
  - (ड) ''अभिलेखों और प्रकाशनों'' से विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों अभिप्रेत है;
  - (ढ) ''परिनियमों'' और ''अधिनियमों'' से विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत क्रमशः परिनियमों ओर अधिनियमों अभिप्रेत है:
  - (ण) ''छात्र'' से विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र अभिप्रेत है;

- (त) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' से आचार्य, सह—आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा / अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाए;
- (थ) "लेखा अधिकारी", "कुलसचिव", "अतिरिक्त कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "सहायक कुलसचिव", "क्य अधिकारी", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या 'कुलानुशासक", "अनुशासक" से क्रमशः विश्वविद्यालय के लेखा अधिकारी, कुलसचिव, अतिरिक्त कुलसचिव, उप कुलसचिव, सहायक कुलसचिव, क्य अधिकारी, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक, अनुशासक अभिप्रेत है;
- (द) ''ट्रस्ट'' से डा० जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट अभिप्रेत है जिसकी स्थापना वर्ष 12.08.2008 में श्री श्री 1008 नारायण स्वामी चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम से हुई थी तथा जिसका नया नाम 'डा० जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट', दिनांक 15.09.2011 को संशोधित तथा परिष्कृत ट्रस्ट डीड द्वारा दिया गया और जिसे 15.09.2011 को सब—रजिस्ट्रार कार्यालय, विकासनगर में पंजीकृत कराया गया। इस प्रकार श्री श्री 1008 नारायण स्वामी चैरिटेबिल ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियाँ डा० जगत नारायण सुभारती चैरिटेबिल ट्रस्ट के स्वामित्व में आती हैं;
- (ध) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन ट्रस्ट द्वारा स्थापित रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

## विश्वविद्यालय की स्थापना

3

- (1) देहरादून, उत्तराखण्ड में ट्रस्ट द्वारा रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- (2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

# विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये शर्तें

- ट्रस्ट जो प्रायोजक संस्था है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्ते पूरी करेगा या उसके द्वारा पूरी कर ली गई हैं:–
  - (क) ट्रस्ट द्वारा पूर्व में ही 10 एकड़ से अधिक परस्पर सटी हुई भूमि को अपने स्वामित्व में अधिग्रहित कर लिया गया है:
  - (ख) ट्रस्ट द्वारा खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर 20000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया से अधिक भवन का निर्माण किया जा चुका है;
  - (ग) ट्रस्ट द्वारा खण्ड (ख) में उल्लिखित भवन के कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं में 30 लाख़ रुपये से अधिक मूल्य के उपकरण, फर्नीचर इत्यादि स्थापित किए जा चुके हैं:
  - (घ) ट्रस्ट द्वारा रू० 75 लाख की धनराशि से अधिक मूल्य की पुस्तकें क्रय की जा चुकी हैं एवं कम्प्यूटर, नेटवर्किंग आदि में व्यय किए जा चुके हैं;
  - (ड.) ट्रस्ट द्वारा रू० 25 लाख की धनराशि से अधिक मूल्य की पुस्तकें क्रय की जा चुकी हैं;
  - (च) संस्था के ट्रस्टियों की नेटवर्थ रू० 30 करोड से अधिक है;
  - (छ) ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय के मूल भूत ढांचें के विकास में रू0 58 करोड़ से अधिक व्यय किए जा चुके हैं;
  - (ज) संस्था द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि वह प्रदेश सरकार की आरक्षण सम्बन्धित

नीति का पालन करेगा, उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को सभी पाठ्यक्रमों के प्रवेश में 25 प्रतिशत का आरक्षण देगा, एवं उनके शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देगा एवं उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को समूह 'ग' व समूह 'घ' के सभी पदों पर नियुक्ति देगा;

- (झ) ट्रस्ट द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि वह प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों का पालन करेगा:
- (ञ) ट्रस्ट द्वारा वचन दिया गया है कि वह विश्वविद्यालय में कम से कम पाँच परास्नातक पाठ्यकम प्रारम्भ करेगा;
- (ट) ट्रस्ट द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नियामक संस्थाओं, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियमों / नियमों / विनियमों / आदेशों का पालन करेगा।

#### विश्वविद्यालय का आरंभ 5

- (1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने के लिए ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय संचालन आरम्भ करेगा।
- (2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव एवं उसके साथ जमा किये गए अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त तथा इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उपरोक्त वर्णित धारा 4 में उल्लिखित सभी शर्ते पूरी कर ली गयी हैं, प्राधिकार पत्र निर्गत करेगी

#### विश्वविद्यालय के 6 उद्देश्य

विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा:—

- (क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नित करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धित और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;
- (ख) शिक्षा के विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना;
- (ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था करना;
- (घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, समाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अन्तःक्रिया।

#### विश्वविद्यालय शक्तियां

की 7 विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी-

- (क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना:
- (ख) विज्ञान, प्रोद्योगिकी, चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, प्रबन्धन, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, कला इत्यादि पाठ्यक्रमों का संस्थागत केन्द्रों या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यमों से, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किया जाए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुर्वानुमित से शिक्षा प्रदान करना और उनकी प्रोन्नित करना;

- (ग) शिक्षाविद्रों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर एमेरिट्स के अलंकार से सम्मानित करना;
- (घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धित के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण—पत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;
- (ड.) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना;
- (च) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी हैं;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहआचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियाँ करना;
- (ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;
- (झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना:
- (ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;
- (ट) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;
- (ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;
- (ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों / आवासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नित के लिए व्यवस्था करना;
- (ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;
- (ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना;
- (त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूंल्याकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;
- (थ) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क एवं अन्य मदों में मूल्यों का निर्धारण करना उसकी मांग करना एवं उनका भुगतान प्राप्त करना;
- (द) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;
- (ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और इसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा

- विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए;
- (न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नित के लिए व्यवस्था करना;
- (प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास ओर बन्दोबस्ती सम्पत्तियां भी हैं, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना;
- (फ) विश्वविद्यालय के प्रायोजनों के लिए ट्रस्ट के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के आडमान के रूप में उधार लेना या बन्धक रखना;
- (ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों परामर्शियों, विद्धानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें:
- (भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से अनुमोदित हों।

#### प्रवेश और मानक

8

- (1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।
- (2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उपचारिका परिषद् इत्यादि के दिशा निर्देशों के अनुसार हों।
- (3) अध्यापक—छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विशिष्ट परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

#### विश्वविद्यालय सभी वर्गों 9 और मतावलम्बियों के लिए होगा

विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें।

#### आरक्षण

10 संस्था प्रदेश सरकार की आरक्षण सम्बन्धि नीति का पालन करेगी, उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को सभी पाठ्यकमों के प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण देगी, एवं उनके शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देगी एवं उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों को समूह 'ग' व समूह 'घ' के सभी पदों पर नियुक्ति देगी।

#### विश्वविद्यालय के अधिकारी

- 11 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी अन्य अधिकारी होंगे:--
  - (क) कुलाध्यक्ष;
  - (ख) कुलाधिपति;
  - (ग) कुलपति;
  - (घ) प्रति–कुलपति;
  - (ड.) संस्था का प्राचार्य या प्रधान;
  - (च) कुलसचिव;

- (छ) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;
- (झ) परीक्षा नियंत्रकः
- (ञ) मुख्य कुलानुशासकः;
- (ट) वित्त अधिकारी; और
- (ठ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

#### कुलाध्यक्ष

- 12 (1) उत्तराखण्ड के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
  - (2) कुलाध्यक्ष, यदि उपस्थित है, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।
  - (3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी-
    - (क) कुलाध्यक्ष विश्वविधालय के कार्यों से सम्बन्धित कोई भी पत्र, सूचना मांग सकता है;
    - (ख) यदि प्राप्त सूचना के आधार पर कुलाध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो कि विश्वविधालय के किसी अधिकारी / प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय विश्वविधालय के अधिनियम, परिनियम अथवा नियमों के अनुरूप नहीं है तो वह कुलाधिपति को उक्त निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देश दे सकता है, जो कि विश्वविधालय के हित में हो तथा ऐसे किसी निर्देश का कुलाधिपति द्वारा अनुपालन किया जाएगा।
  - (4) किसी भी व्यक्ति को विशष्ट सम्मान अथवा उपाधि देने का प्रस्ताव कुलाध्यक्ष को भेजा जाएगा तथा ऐसे किसी भी सम्मान अथवा उपाधि को देने से पूर्व कुलाध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।

#### कुलाधिपति

- 13 (1) ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति कुलाधिपति के रूप में तीन वर्ष के लिए की जाएगी।
  - (2) कुलाधिपति अपने हस्तलिखित पत्र द्वारा, जो कि ट्रस्ट को सम्बोधित हो, त्याग पत्र दे सकता है।
  - (3) कुलाधिपति अपने पद के कारण विश्वविधालय का सर्वाच्च अधिकारी होगा और उसे विश्वविधालय की अन्तरिम अधिशासी समिति बनाने का अधिकार होगा।
  - (4) कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविधालय द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों इत्यादि के लिए आयोजित दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा।

#### कुलपति

- 14 (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जाएगी जैसा कि विहित की जाए।
  - (2) कुलपित विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।
  - (3) यदि कुलपित की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी

प्राधिकारी के प्रदत् किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे विषय में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत कराएगा;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत्, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपित द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपित को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे। कुलाधिपित कुलपित द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकेगा।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

#### प्रति–कुलपति

15

- (1) प्रतिकुलपित की नियुक्ति कुलपित द्वारा एक वर्ष की अविध के लिए की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किये जाएँ।
- (2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।

प्राचार्य

16 संस्था के प्राचार्य या प्रमुख की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जो विहित किया जाए। प्राचार्य अपने विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने और विद्यालय के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

#### कुलसचि

- 17 (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाए।
  - (2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी की वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यो का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।
  - (3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

#### संकायों के संकायाध्यक्ष

18 प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

वित्त अधिकारी

- 19 (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।
  - (2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20 विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होगें जैसे विहित किये जाएं।

#### विश्वविद्यालय प्राधिकारी

के 21 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे-

- (क) कोर्ट;
- (ख) कार्य परिषद्;
- (ग) विद्या परिषद्;
- (घ) वित्त समिति;

(ड.) नियोजन बोर्ड; संकाय बोर्ड: (च) प्रवेश समिति: (छ) परीक्षा समिति ; और (ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी घोषित किए (झ) जाएं। कोर्ट का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित की कोर्ट (1) 22 जाय। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई की निम्नलिखित शक्तियां (2) और कृत्य होंगे अर्थात:-विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर (क) पूर्निनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना; विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना (ख) और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार विभिन्न परिषदों या सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा निजी निकायों के (ग) लिए, जहाँ यथाविहित अवधि के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना; ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जो विहित किया जाएं। कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा। कार्य परिषद 23 (1) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि ओर इसकी शक्तियां और (2) कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जाएँ। विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, विद्या परिषद् (1) 24 परिनियमों और अधिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा। विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां और (2) कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाएँ। वित्त समिति वित्त समिति वित्तीय विश्वविद्यालय की वित्तीय मामलों की देखभाल करने के 25 (1) लिए प्रधान वित्तीय निकाय होगी। वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जाएँ। (2) नियोजन बोर्ड नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह 26 (1) सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करे। नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी अन्य शक्तियां (2) और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किये जाएँ। संकाय और 27 संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों विश्वविद्यालय के अन्य

जैसे विहित किये जाएँ।

प्राधिकारी

द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाए, गठन, शक्तियां ओर कृत्य ऐसे होंगे

## परिनियमों को बनाने की 28 (1) शक्ति

- कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी तथा उन्हें लागू करने से पूर्व कुलाधिपति की अनुमित प्राप्त करेगी।
- (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :-
  - (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय—समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य;
  - (ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति ओर निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो
  - (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां:
  - (घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;
  - (ड.) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कमचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए जिम्मा लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त करना;
  - (च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवानिवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करना;
  - (छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्टता को निर्धारित करने वाला सिद्धान्त बनानाः
  - (ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित करना:
  - (झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् में अपील करने की प्रक्रिया निर्धारित करना;
  - (ञ) सम्मानार्थ मानद उपाधियों को प्रदान करने हेतु कुलाधिपति एवं कुलाध्यक्ष को प्रेषित करना ;
  - (ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टयों का वापस लेना:
  - (ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों ओर पुरस्कारों को संस्थित करना;
  - (ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाए रखना;
  - (ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं / महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना;
  - (ण) वित समिति द्वारा पाठ्यकमों की शुल्क ढ़ाँचा तैयार करना;
  - (त) प्रवेश समिति द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में नियमानुसार सीटों की संख्या प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा, मेरिट आदि तैयार करना, पास करना;
  - (थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ; और

- (द) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किए जा सकते हों।
- (3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनवायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।
- (4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपित विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सर्न्दभ में पिरिनियमों में उपबन्ध करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य पिरिषद् ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपित ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्य पिरेषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् पिरिनियमों को उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की 29 शक्ति

की 29 अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम / अधिनियम कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएगें। कार्य परिषद् द्वारा अधिनियमों के बनाए जाने के एक माह के अर्न्तगत अथवा उन्हें लागू किए जाने से पूर्व कुलाधिपित की अनुमित प्राप्त करनी होगी। यदि किसी अधिनियम को लागू किया जा चुका हो तथा कुलाधिपित द्वारा उसके उपरान्त अधिनियम को अनुमित न देने का आदेश प्राप्त हो तो ऐसा अधिनियम तुरन्त प्रभाव से निरस्त माना जाएगा। अधिनियम निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थातः—

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम का निर्धारित किया जाना;
- (ग) शिक्षण विधि और परीक्षा का माध्यम;
- (घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शैक्षणिक प्रविष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किए जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किए जाने वाले माध्यम:
- (ड.) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क;
- (च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;
- (छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य है;
- (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की परिस्थितियां;
- (झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थाएँ यदि कोई हों और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;
- (ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न

- कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;
- (ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डो, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापनाः
- (ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संध भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;
- (ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाए, के सृजन, संरचना और कृत्य;
- (ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों ओर सारणीयकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक:
- (ण) अध्यापकों और अन्य निकाय शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों जिनकी सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

#### वार्षिक रिपोर्ट

30

32

- (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा विहित किया जाएगा ओर कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।
- (2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

#### वार्षिक लेखा

- 31 (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन—पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किए जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, कराई जाएगी।
  - (2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।
  - (3) वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा किए गए पर्यवेक्षणों को कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया जाएगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण, यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किए जाएँगे।

#### कर्मचारियों की सेवा

- (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा / काम पर लगाया जाएगा।
- (2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।
- (3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद् के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।
- (4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत् किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलपित द्वारा किया जाएगा।
- (5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

#### अपील करने का 33 (1) अधिकार

- किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में अपने को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या निरस्त कर सकेगा।
- (2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अन्तिम होगा।
- (3) कुलपति अपील का अधिकार स्वयं के विवेक से अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यू०जी०सी० द्वारा समय समय पर पारित नियमों के अनुसार बदल सकता है।

#### कल्याणकारी योजना

विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ, के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद द्वारा अवधारित ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्यपरिषद द्वारा निश्चित किया जाए।

#### प्राधिकरण निगमों निकायों के गठन के बारे में विवाद

35 यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपित को निर्दिष्ट किया जाएगा. जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

#### समितियों का संविधान

जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन सिमितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहाँ ऐसी सिमितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें होंगे।

#### रिक्तियों का भरा जाना

37 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुयी सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, ऐसी अवधि के लिए जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, भरा जाएगा।

#### कार्यवाही की अविधिमान्यता

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

#### विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

9 विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या सिमित की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के अधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रिजस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा।

#### परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

) (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अधिनियम लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अधिनियम सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशाीध्र प्रवृत्त किया जाएगा।

#### स्थायी विन्यास निधि

- (1) विश्वविद्यालय राष्ट्रीयकृत बैंक की न्यूनतम पाँच करोड़ रुपये की फिक्सड डिपोजिट के रूप में एक स्थायी विन्यास निधि की स्थापना करेगा जोकि उत्तराखण्ड सरकार को प्लेज्ड होगी।
- (2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, निवेश करने की शक्ति होगी।
- (3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।
- (4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

#### सामान्य निधि

- 42 (1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात:—
  - (क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए;
  - (ख) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;
  - (ग) ट्रस्ट द्वारा किए गए सभी अंशदान ; और
  - (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गये सभी अंशदान।
  - (2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जाएगा।

#### विकास निधि

- 43 (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात:—
  - (क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है;
  - (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि:
  - (ग) ट्रस्ट द्वारा किए गए सभी अंशदान;
  - (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गये सभी अंशदान;
  - (ड.) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय;
  - (2) विकास निधि में समय—समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा:

#### निधि का अनुरक्षण

44 धारा 41, 42, एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

#### वित्तीय शर्तें

45 विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्ताधीन और नियंत्रणधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

#### शुल्क

46 विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार वित्त समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

#### सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

- 7 (1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जो राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।
  - (2) राज्य सरकार यदि यह समझती है कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह विश्वविद्यालय की धारा 52 के अधीन ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

#### विश्वविद्यालय का विघटन

- 8 (1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विधटन का प्रस्ताव करता है।
  - (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विधटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

# विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49

- (1) धारा 48 के अधीन उसे प्रबन्धन करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जाएगा।
- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधन को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों को निस्तारण करके किया जा सकेगा।

#### राज्य सरकार द्वारा 50 विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

- (1) राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय को शिकायत की मूलप्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो उचित समझे किन्तु जो छः मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाए।
- (2) यदि उपधारा (1) अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि प्रथमदृष्टया इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लधंन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघंन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।
- (4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात:—
  - क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

- (ख) किसी दस्तावेज के प्रस्त्तिकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,
- (ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,
- (घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,
- (ड.) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।
- (5) यदि जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में इस अधिनियम का उल्लघंन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय को यह निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।
- (6) यदि यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय ने निरन्तर तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।
- (7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।
- (8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जाएगी।
- राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- 52 अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सिम्मिलित हैं तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी प्रस्तावित न्यास से सम्बन्धित हो जायेंगे।

नीति विषयक मामलों में राज्य सरकार का निर्देश देने का अधिकार

विघटन / मान्यता रद्द होने पर सम्पत्तियां / उत्तरदायित्व की स्थिति

-----/-----

# THE RAS BIHARI BOSE SUBHARTI UNIVERSITY ACT, 2016

### {Uttrakhand Act No. 35 of 2016}

### **INDEX**

Section	Details		
1	Short title, extent and commencement		
2	Definitions		
3	Establishment of University		
4	Conditions for establishment of University		
5	Starting of the University		
6 7	Objects of the University Powers of University		
8	Admission and Standards		
9	University open to all classes and creeds		
10	Reservation		
11	Officers of the University		
12	The Visitor		
13	The Chancellor		
14	The Vice-Chancellor		
15	The Pro- Vice-Chancellor		
16	Principals		
17	The Registrar		
18	Dean of Faculties		
19	Finance Officer		
20	Other Officers		
21	Authorities of the University		
22	The Court		
23	The Executive Council		
24	The Academic Council		
25	The Finance Committee		
26	The Planning Board		
27	Board of Faculty and other authorities of the University		
28	Power to make Statutes		
29	Power to make Acts		
30	Annual Report		
31	Annual Accounts		
32	Conditions of Service of employees		
33	Right to Appeal		

34	Employee's provident fund and welfare schemes
35	Disputes as to the constitution of Authorities and bodies
36	Constitution of Committees
37	Filling of the vacancies
38	Invalidity of Proceedings
39	Mode of Proof of University records
40	Publication of Statues, and Act
41	Permanent Endowment fund
42	General Fund
43	Development Fund
44	Maintenance of Fund
45	Financial Condition
46	Fees
47	Power of the State Government to call for information and records
48	Dissolution of University
49	Expenditure of the University during dissolution
50	De-recognition of University
51	Power of the State Government on policy matters
52	Status of assets/liabilities on dissolution /de-recognition

#### THE RAS BIHARI BOSE SUBHARTI UNIVERSITY

#### **ACT, 2016**

#### (Uttrakhand Act No. 35 of 2016)

An Act

to establish and incorporate a Teaching University sponsored by Dr. Jagat Narain Subharti Charitable Trust, Dehradun in Uttrakhand and to provide for matters connected therewith or incidental thereto;

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India by Uttrakhand State Legislative Assembly as follows:-

#### Short Title and 1 Commencement

- (1) This Act may be called the Ras Bihari Bose Subharti University Act, 2016.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

#### **Definitions**

- 2 In this Act, unless the context otherwise requires:—
  - (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
  - (b) "Board" means the Board of Studies and the Planning Board, or any other Board of the University;
  - (c) "Visitor", "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means respectively the Visitor, Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor of the University;
  - (d) "Court" means the Court of the University;
  - (e) "Director / Principal" means the Head of an Institution, College, School, Polytechnic and Industrial Training Institute or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;
  - (f) "Department" means a Department of Studies, and includes a Centre of Studies and Research;
  - (g) "Employee" means any person appointed by the University, and includes a teacher or any other member of the staff of the University;
  - (h) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
  - (i) "Faculty" means a Faculty of the University;
  - (j) "Hostel" means Scholars/Students Hostel of the

- University;
- (k) "Institution" means an Academic Institution established or maintained by the University;
- (1) "Prescribed" means prescribed by Statutes;
- (m) "Records and Publications" means the Records and Publications of the University;
- (n) "Statutes" and "Acts" means respectively, the Statutes and Acts of the University for the time being in force.
- (o) "Student" means a student enrolled in the Register of the University;
- (p) "Teacher of the University" means Professor,
  Associate Professor/Reader Asst. Professor/
  Lecturer and such other person as may be appointed
  for imparting education/instructions or conducting
  research in the University and is designated as
  Teacher by the Acts;
- Officer", (q) "Accounts "Registrar", "Additional Registrar", "Deputy Registrar", "Assistant Registrar", "Purchase Officer", "Finance Officer", "Controller of "Librarian", "Chief Examinations", Proctor", "Proctor" means respectively the Accounts Officer, Registrar, Additional Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Purchase Officer, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian, Chief Proctor, Proctor of the University;
- (r) "Trust" means Dr. Jagat Narain Subharti Charitable established on 12.08.2002 by the name of Sri Sri 1008 Narayan Swami Charitable Trust and the new name 'Dr. Jagat Narain Subharti Charitable', given vide amended and corrected Trust Deed dated 15.09.2011 which was registered at the office of the Sub Registrar Vikas Nagar, Dehradun on 15.09.2011. Therefore, all the properties registered under the name of Sri Sri 1008 Narayan Swami Charitable Trust comes under the ownership of Dr. Jagat Narain Subharti Charitable Trust;
- (s) "University", means the Ras Bihari Bose Subharti University, Uttrakhand established under this Act by the Trust.

# **Establishment University**

- (1) There shall be established at Dehradun in Uttrakhand, a University by the Trust, in the name of Ras Bihari Bose Subharti University, Uttrakhand.
  - (2) The University shall be a Body Corporate.

# Conditions establishment University

for 4 of

**of** 3

- The sponsoring body, the Trust shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill / have already fulfilled the following conditions, namely:-
- (a) The Trust already possesses more than 10 acres contiguous land;
- (b) The Trust has already constructed on land referred to in clause (a), buildings of more than 20000 sq. meter carpet area;
- (c) The Trust has already installed equipments and furniture, in offices and laboratories worth more than Rs. thirty lacs in the building referred to in clause (b);
- (d) The Trust has already installed computers, common networking and purchased books worth more than Rs. 75 lacs:
- (e) The Trust has already purchased books of more than Rs. Twenty Five lacs;
- (f) The net worth of the trustees is more than 30 crores;
- (g) The Trust has already invested a sum of Rs. 58 crores in the development of the infrastructure of the University;
- (h) The Trust has given an affidavit to follow the policy of reservation of the State Government, giving 25% reservation in admissions to the permanent residents of Uttarakhand and giving 25% rebate in the fee to the permanent residents of Uttrakhand and to appoint all the employees of group 'C' and 'D" from the permanent Residents of Uttrakhand;
- (i) The Trust has given an affidavit that it shall follow such other directions issued by the State Government from time to time;
- (j) The Trust has given commitment to start Post Graduate courses at least in five disciplines;
- (k) The Trust has given an affidavit that it shall follow the Acts, rules, regulations, orders, issued by the U.G.C., Statutory Bodies, Central and the State Government.

#### Starting of the 5 University

- (1) The University shall start operation only after the State Government issues to the Trust a letter of authorization for the commencement of the functioning of the University.
- (2) The State Government shall issue the letter of authorization after verifying the proposal along with documents received from the Trust to the effect that all conditions referred to in section (4) have been fulfilled.

#### Objects of the 6 University

The objects of the University shall be to disseminate and advance knowledge by providing instructional, research and extension of facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall Endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of:-

- (a) Innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching and learning and integral development of personality;
- (b) Studies in various disciplines;
- (c) Inter-disciplinary studies;
- (d) National integration, secularism, social equity and engineering of international understanding and ethics.

#### Powers of University 7

The University shall have the following powers, namely:-

- (a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;
- (b) to impart and promote the study of Science, Technology, Medicine, Dentistry, Management, Law and other professional courses and also history, culture, philosophy, art etc. through in-campus centers or by conducting distant educational programs with due permissions of the University Grant Commission.
- (c) to honor educational stalwarts and persons of academic eminence with the decoration of Professor Emeritus.
- (d) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and to withdraw any such

- diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (e) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed;
- (f) to provide education including correspondence and such other courses to such persons, who are not members of the University after obtaining permissions from the relevant bodies wherever required;
- (g) to institute Directorships, Principalships, Professorships, Associate Professorships/Readerships, Assistant Professorships/Lectureships and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same;
- (h) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
- (i) to appoint/engage persons working in any other University or Organization having specific knowledge permanently or for a specified Period;
- (j) to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution in such manner and for such purpose as the University may determine;
- (k) to establish and maintain schools, centers, specialised laboratories or other unit for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;
- (l) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (m) to establish, maintain and supervise residence/hostels for students of University and promote their health & general welfare activities;
- (n) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;
- (o) to declare centre, an institution, a department, or school, as the case may be, in accordance with the Statutes;
- (p) to determine standards for admission into the University, which may include examination,

- evaluation or any other method of testing;
- to determine the fee for different course, demand and (q) receive payment of fees and other charges;
- to make special arrangements in respect of women (r) students as the University may consider desirable;
- (s) to regulate and enforce discipline amongst the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary by the University;
- to make arrangements for promoting the health and (t) general welfare of the employees of the University;
- to receive donations and to acquire, hold, manage and (u) dispose of any property, movable or immovable for the welfare of the University;
- to borrow by way of hypothecation or mortgage (v) against the property of University with prior approval of the Trust.
- to appoint, either on contract or otherwise, visiting (w) professors, emeritus professor, consultants, fellows, scholars, artists, course writers, and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University.
- to do all such other acts and things as may be (x) necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University and which may be permitted by the Executive Council of the University.

## **Standards**

- (1) Admission to the different academic programs shall be made in accordance with the laws for the time being in force/as decided by the Executive Council of the University
- The University shall ensure that the academic (2) standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the University Grants Commission / MCI / DCI / AICTE / INC and or other statutory bodies etc. as the case may be;
- The teacher-student ratio shall be in accordance with (3) the guidelines of the University Grants Commission or specific Council.

### Admission and

8

## University open to all 9 classes and creeds

The University shall be open to persons of either sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate thereat.

#### Reservation

Trust will follow the policy of reservation of the State Government, will give 25% reservation in admissions to the permanent residents of Uttrakhand and give 25% rebate in the fee to the permanent residents of Uttrakhand and appoint all the employees of group 'C' and 'D" who are the permanent Residents of Uttrakhand

# Officers of the University

- 11 The following shall be the other officers of the University:-
  - (a) Visitor;
  - (b) Chancellor;
  - (c) Vice-Chancellor;
  - (d) Pro-Vice-Chancellor;
  - (e) Principal or Head of the Institution;
  - (f) Registrar;
  - (g) Dean of Faculty;
  - (h) Dean of student's Welfare;
  - (i) Controller of Examination;
  - (j) Chief Proctor;
  - (k) Finance Officer; and
  - (1) Such other officer as may he declared by the Statutes to be officers of the University.

#### The Visitor

- 12 (1) The Governor of Uttarakhand will be Visitor of the University.
  - (2) The Visitor shall, when present, will preside over the Convocation of the University held for conferring degrees.
  - (3) The Visitor shall have the following powers; namely;
    - (a) to call for any paper or information in relation to the affairs of the University;
    - (b) On the basis of the information received by the Visitor, if he is satisfied that any decision taken by any authority of the University is not in

conformity with the Act, Statutes or Rules, he may issue such directions as he may deem fit for the reconsideration of such decision by the Chancellor of the University, in the interest of the University and the directions so issued shall be complied with by the Chancellor.

(4) Every proposal for the conferment of an honorary or degree or distinction shall be subject to the approval of the Visitor.

#### The Chancellor

- 13 (1) A person of eminence shall be appointed by Board of Trustees of the Trust as Chancellor for a period of three years.
  - (2) The Chancellor may in writing under his hand addressed to the Trust, resign his office.
  - (3) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall constitute interim Executive Council.
  - (4) The Chancellor shall, if Visitor is not present, preside at the Convocation of the University held for conferring degrees.

#### **The Vice-Chancellor** 1

- (1) The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner as may be prescribed, for a period of three years.
- (2) The Vice Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall be the Chairman of the Executive Council and the Academic Council of the University and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (3) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall convey to such authority the action taken by him on such matters:

Provided that any authority or any person

in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section, may prefer an appeal to the Chancellor within one month from the date of communication of the order. The Chancellor may confirm, modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such other functions as may be prescribed.

#### The Pro- Vice-Chancellor

- 15 (1) The Pro-Vice-Chancellor shall be appointed by the Vice-Chancellor for a period of one year at a time as prescribed and shall exercise such powers and performs such functions as may be prescribed.
  - (2) The Pro-Vice Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a professor.
  - (3) The Pro-Vice Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice-Chancellor.

#### **Principals**

Principal or Head of Institution shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed. They will be responsible for maintaining the discipline in the University and the overall achievements of the objects of the Institution/College.

#### The Registrar

- 17 (1) The Registrar shall be appointed in such manner as may be prescribed.
  - (2) The Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate records on behalf of the University and shall exercise such other powers and perform such other function as may be prescribed.
  - (3) The Registrar shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council and the Academic Council.

#### **Dean of Faculties**

18 Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

#### **Finance Officer** 19 (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed. (2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of Finance Committee. Other Officers 20 The manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.: Authorities of the 21 The following shall be the authorities of the University:-University Court: (a) (b) **Executive Council**; (c) Academic Council;

Finance Committee:

Boards of Faculties;

Admissions Committee;

**Examinations Committee:** 

Planning Board;

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

#### The Court

22 (1) The Constitution of the Court and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

Statutes to be authorities of the University.

- (2) Subject to the provisions of this Act the Court shall have the following powers and functions, namely:-
  - (a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University;

Such other authorities as may be declared by the

- (b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and the Annual Accounts of the University and Audit Report of such accounts;
- (c) to nominate members for various councils or Government, semi government or private bodies, where such a member is required to be sent & represent the University for the specific period as may prescribed;

			(d) to perform such other functions as may be prescribed.
The Executive Council	23	(1)	The Executive Council shall be the principal executive body of the University.
		(2)	The Constitution of the Executive Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.
The Academic Council	24	(1)	The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes and the Acts, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.
		(2)	The Constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and duties shall be such as may be prescribed.
The Finance Committee	25	(1)	The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.
		(2)	The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such as may be prescribed.
The Planning Board	26	(1)	The Planning Board shall be the principal planning body of the University. The Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission or the respective councils.
		(2)	The constitution of the Planning Board, term of office of its members and its other powers and duties shall be such as may be prescribed.
Board of Faculty and other authorities of the University	27	facul Com may	constitution, powers and functions of the Boards of ties the Admission Committee, the Examination mittee and of such other authorities of University which be declared by the statues to be the authorities of the ersity, shall be such as may be prescribed.
Power to make Statutes	28	(1)	The Executive Council shall make the statues for carrying out the purposes of this Act and will take approval of the Chancellor before implementing them.

- (2) Subject to the provisions of this Act the Statues may provide for all or any of the following matters, namely:—
  - (a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;
  - (b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;
  - (c) the appointment, powers and duties of the officers of the University and their emoluments;
  - (d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff; and their emoluments;
  - (e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in any other University or Institution for a specific period for undertaking a joint project;
  - (f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;
  - (g) the principles governing seniority of service of employees;
  - (h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University;
  - (i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or authority of the University;
  - (j) the conferment of honorary degrees;
  - (k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinctions;
  - (1) the institution of fellowships, scholarships,

- studentships, medals and prizes;
- (m) the maintenance of discipline among the students;
- (n) the establishment and abolition of Departments, Centres and other constituted institutions/Colleges etc,
- (o) to approve the fee fixed by the finance committee for different courses,
- (p) to allow the number of admissions in a particular course and decide the mode of admission. It will direct the Admission Committee to hold competitive examinations wherever required as per law and regulations of the statutory bodies for determining the merit of the students for the admission in a particular course,
- (q) to delegate powers in the authorities or officers of the University for the smooth functioning of the University and to withdraw them if required and
- (r) all other matters, which may be prescribed.
- (3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.
- (4) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections the Chancellor may direct the University to make provisions in the Statutes, in respect of any matter specified by him and if the Executive Council is unable to implement such a direction within ninety days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Executive Council for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes accordingly as

#### he may deem fit.

#### **Power to make Acts**

- Subject to the provision of the Act and the Statutes, the Acts shall be made by the Executive Council. Approval of the Chancellor will be obtained within one month of its implementation or passing by the Executive Committee. In case any Act has been implemented but the Chancellor does not give his approval, the same shall be withdrawn immediately. Acts can be made for the following issues, namely:-
  - (a) the admission of students to the University and their enrolment as such;
  - (b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;
  - (c) the medium of instruction and examination;
  - (d) the award of degree, diploma, certificate and other academic distinctions, the qualifications for the same and the means to be taken relating to the granting and obtaining of the same;
  - (e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;
  - (f) the conditions for the award of fellowships, scholarships studentships, medals and prizes;
  - (g) the conduct of examinations, including the term of Office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;
  - (h) the conditions of residence of the students of the University;
  - (i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;
  - (j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;
  - (k) the establishment of Centre of Studies, Boards of

- Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centres, Specialized Laboratories and other Committees;
- the manner of co-operation and collaboration with (1) other Universities and authorities including learned bodies or associations;
- (m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary, for improving the academic mileage of the University;
- (n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators:
- (o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes;

#### **Annual Report**

30

31

- The annual report of the University shall be prepared (1) under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court on or after such date as may be prescribed and the Court shall consider the report in its annual meeting.
  - (2) The court shall submit the annual report to the Chancellor along with its comments, if any.

#### **Annual Accounts**

- The annual accounts and balance sheet of the (1) University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every of not more than fifteen year and at intervals months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountant of repute.
- (2) A copy of the annual accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Court and the Chancellor along with the observations of the Executive Council.
- (3) Any observations made by the Chancellor or the Court on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the observations, if any, shall after being reviewed by the Executive Council, be submitted to the Court/Chancellor.

# **Conditions of Service of employees**

- 32 (1) Every employee of the University shall be appointed /engaged as per provisions of the Statutes.
  - (2) Any dispute arising between the University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Executive Council who shall decide the dispute after affording an opportunity of being heard to the employee within three months from the date of its reference.
  - (3) The aggrieved employee may file an appeal against the order of the Executive Council to the Chancellor.
  - (4) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on ad-hoc or part time or casual basis shall be heard and decided by the Vice-Chancellor.
  - (5) Appeal against the decision of the Vice-Chancellor can be made to the Chancellor. The decision of the Chancellor shall be final and no suit shall lie in any court in respect of the matters decided by the Chancellor.

Any student or candidate for an examination, whose

writing appeal to the Vice-Chancellor who may confirm, modify or reverse the decision to the aforesaid authorities or the concerned Committee, as

#### Right to Appeal

33

(1)

- name has been removed from the rolls of the University by the orders or resolution of the Academic Council, Proctorial Board or Controller of Examination as the case may be and who has been debarred from appearing at the examinations of the University for more than one year, may within ten days of the date of receipt of such order by him in
- (2) Any decision taken by the Vice-Chancellor shall be final.

the case may be.

(3) The Vice Chancellor can modify the procedure and system of appeal in view of the directions issued by the Central Government, State Government, UGC from time to time or suo motto.

# Employee's provident fund and welfare schemes

34 The University may constitute for the benefit of its employees such welfare scheme or Provident Fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be decided by the Executive Council.

# Disputes as to the constitution of Authorities and bodies

35 If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereupon shall be final.

## Constitution of Committees

Where any authority of the University is given power under this Act or the Statutes to appoint Committees, such Committees have as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in each case may think fit.

## Filling of the vacancies

37 All vacancies among the members (other than ex-officio) of any authority or other body of the University shall be filled for the period as per provision in the relevant section, as soon as may be convenient by the person or the body, who appointed, nominated or co-opted the member whose place has become of such authority or body for the remaining term for which he has been appointed or co-opted.

# **Invalidity of Proceedings**

38 No Act or proceedings of any authority or other body of the University shall be invalid merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members.

#### Mode of Proof of University records

A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as prima-facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein where the original, if produced have been admissible in evidence.

#### Publication of 40 Statues, and Act

- (1) Every Statute or Acts made under this Act shall be made available in writing.
- (2) Each new Statute or Acts made under this Act shall be

enforced as soon as it is made by the competent authority.

#### Permanent Endowment fund

41

- (1) The Trust shall create a permanent endowment fund of at least rupees five crores in the form of a Fixed Deposit of a Nationalized Bank pledged in the name of the State Government.
  - (2) The University shall have the power to invest the permanent endowment fund in such manner as may be prescribed.
  - (3) The University may transfer any amount from the general fund or the development fund to the permanent endowment fund.
  - (4) Any amount exceeding the minimum amount specified in sub-section (1) may be withdrawn from the permanent endowment fund by the University for the purposes of development of the University.

#### **General Fund**

- 42 (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:—
  - (a) all fees which may be charged by the University;
  - (b) all sums received from any other source;
  - (c) all contributions made by the Trust; and
  - (d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being in force.
  - (2) The moneys credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring experiditures of the University.

#### **Development Fund**

43

- (1) The University shall also establish a development fund to which following moneys shall be credited, namely;
  - (a) development fee, which may be charged from students:
  - (b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;

- (c) all contributions made by the Trust;
- (d) all contributions made in this behalf by any other person or body which are not prohibited by any law for the time being enforce; and
- (e) all incomes received from the permanent endowment fund.
- (2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

# Maintenance Fund

of 44

The funds established under Sections 41, 42 and 43 shall be subject to general supervisions and control of the Court and be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

#### **Financial Condition**

The University shall be not be eligible for any grant-in-aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.

**Fees** 

46 The fees charged for different academic programs shall be decided by the finance committee in accordance with laws for the time being in force.

#### Power of the State Government to call for information and records

- (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such informations or records relating to the administration or finances and other affairs of the University as the State Government may call for.
- (2) The State Government, If it is of the view that there is a violation of the provisions of this Act or the Statutes or Acts, made there under, may issue such directions to the University under section 51 as it may deem necessary.

# Dissolution of University

48

47

- (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least six months written notice to the State Government.
- (2) On receipt of information referred to in sub-section (1) the State Government shall make such arrangement

for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed.

# Expenditure of the University during dissolution

49

50

(1)

- The expenditure for administration of the University during the taking over the liabilities of the University under Section 48 shall be met out of the permanent endowment fund, the general fund and the development fund.
- (2) If the funds referred to sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the University during the taking over the liabilities of the University such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the University by the State Government.

#### **De-recognition of University**

- (1) Where the State Government receives a complaint that the University is not functioning in accordance with the provisions of this Act, it shall require the University to show cause, within such time, which shall not be less than six months, referring a copy of the complaint, as to why the University should not be derecognised.
- (2) If, upon receipt of the reply of the University to the notice given under sub-section (1), the State Government is satisfied that a prima-facie case of violation of the provisions of this Act in the functioning of the University, is made out, it shall order such enquiry as it deems necessary.
- (3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or authority as the enquiring authority to enquire into the allegation of violation of the provisions of this Act.
- (4) Every enquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Act, shall have all the powers of Civil Court under the

Code of Civil Procedure, 1908 trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document;
- (c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;
- (d) receiving evidence on affidavits;
- (e) any other matter which may be prescribed.
- (5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provision of this Act, the Government shall direct the University to make necessary improvements & suggest for proper implementation of the provisions of this Act.
- (6) If it is observed that the University is violating the Act continuously for three times, State Government may derecognize the University with prior approval of University Grant Commission.
- During the period of the management of the **(7)** University under sub-section (6),the State Government may utilize the permanent endowment fund, the general fund or the development fund for the purposes of the management of the affairs of the University. If the funds of the University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the University, the Statue Government may dispose of the assets or the properties of the University to meet the said expenses.
- (8) Every notification under sub-section (6) shall be laid before both Houses of the State Legislature before implementation.
- 51 The State Government may issue such directions from time to time to University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act, as it may deem necessary. Such

Power of the State Government on policy matters Status of assets/liabilities on dissolution /derecognition directions shall be complied with by the University.

All assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund & also the liabilities of the University will belong to the proposed Trust in case of dissolution of the University under any clause mentioned herein above in the Act.

----/----